

सेवा में

महालेखाकार  
वीरचन्द पटेल पथ, पटना

पटना, दिनांक-.....2016

विषय:- दिनांक-24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण राजस्व जिला के बगहा पुलिस जिलान्तर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटहरवाँ गाँव में हुई पुलिस फायरिंग में 6 (छः) मृत व्यक्तियों के आश्रितों, 08 (आठ) गंभीर रूप से घायल, 15 (पन्द्रह) सामान्य रूप से घायल ग्रामीणों एवं 1 (एक) व्यक्ति श्री गणेश महतो जिनकी रीढ़ की हड्डी गोली चालन की घटना में टूट गई थी उनकी स्थायी अपंगता को देखते हुए, बगहा पुलिस फायरिंग न्यायिक जाँच आयोग द्वारा अनुशासित पूर्व में दिये गये अनुग्रह अनुदान के अतिरिक्त मानवता के दृष्टिकोण से राहत के लिए मुआवजा कुल 51,00,000/- (एकावन लाख) रुपये मात्र का अनुग्रह-अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- स्वीकृत।

2. दिनांक-24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण राजस्व जिला के बगहा पुलिस जिलान्तर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटहरवाँ गाँव में हुई पुलिस फायरिंग में निम्नांकित मृत 6 (छः) व्यक्तियों को पूर्व में दिये गये अनुग्रह अनुदान राशि के अतिरिक्त उनके नाम के सामने अंकित राशि का अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जाती है -

(i)	स्व० धर्मजीत खतईत, पिता-अमर खतईत, ग्राम-देवताहा, थाना-वाल्मीकिनगर	- 4,00,000/-
(ii)	स्व० ब्रह्मदेव खतईत, पिता-अमर खतईत, ग्राम-देवताहा, थाना-वाल्मीकिनगर	- 4,00,000/-
(iii)	स्व० भूपदेव कुमार, पिता-भीम महतो, ग्राम-दरदरी, थाना-नौरंगिया	- 4,00,000/-
(iv)	स्व० अनुप चौतरिया, पिता-भीम चौतरिया, ग्राम-सिमरीडीह, थाना-वाल्मीकिनगर	- 4,00,000/-
(v)	स्व० अनिल राय, पिता-कृष्णा राय, ग्राम-अमवा, थाना-नौरंगिया	- 4,00,000/-
(vi)	स्व० तुलसी राय, पिता-सुखदेव राय, ग्राम-चुसकपुर, थाना-लौकरिया	- 4,00,000/-

3. पुलिस फायरिंग में निम्नांकित 08 (आठ) गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों को पूर्व में दिये गये अनुग्रह अनुदान राशि के अतिरिक्त उनके नाम के सामने अंकित राशि का और अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जाती है -

(i)	श्री मदन महतो, पिता-सीताराम महतो, नौरंगाबाग, थाना-वाल्मीकिनगर	- 5,00,000/-
(ii)	श्री रितिक कुमार, पिता-जोखन महतो, सेमरीडीह, वाल्मीकिनगर	- 1,00,000/-
(iii)	श्री कमलेश राय, पिता-बंशराज राय, ग्राम-अमवा, थाना-नौरंगिया	- 1,00,000/-
(iv)	श्री हरिनारायण महतो, पिता-पोलखा महतो, ग्राम-दरदरी, थाना-नौरंगिया	- 4,00,000/-
(v)	श्री राजेश महतो, पिता-हरिचन्द्र महतो, ग्राम-दरदरी, थाना-नौरंगिया	- 1,00,000/-
(vi)	श्री असलम मियाँ, पिता-बिहारी मियाँ, ग्राम-दरदरी, थाना-नौरंगिया	- 1,00,000/-
(vii)	श्री मोहन कुमार, पिता-विशुनी मिस्त्री, गौरी बेलवा, थाना-वाल्मीकिनगर	- 1,00,000/-
(viii)	श्री शिवमोहन कुमार, पिता-जिन्दा महतो, ग्राम-कटहरवा, थाना-नौरंगिया	- 4,00,000/-

*me*

4. पुलिस फायरिंग में निम्नांकित 15 (पन्द्रह) सामान्य रूप से घायल व्यक्तियों को पूर्व में दिये गये अनुग्रह अनुदान राशि के अतिरिक्त उनके नाम के सामने अंकित राशि का और अनुग्रह अनुदान भुगतान की स्वीकृति दी जाती है -

(i)	चन्द्रशेखर महतो, पिता-ओमराज महतो, ग्राम-कठिया, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(ii)	प्रेम कुमार उर्फ राजन कुमार, पिता-सुग्रीव महतो, ग्राम-केरई, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(iii)	गया महतो, पिता-भोला महतो, दरदरी, थाना-वाल्मीकिनगर	-	30,000 /-
(iv)	सुरेन्द्र कुमार, पिता-चन्द्रिका काजी, दरदरी, थाना-वाल्मीकिनगर	-	30,000 /-
(v)	जीवन लाल काजी, पिता-मुक्ति काजी, ग्राम-केरई, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(vi)	भगीरथ कुमार, पिता-गेड़ाही महतो, महुआबा, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(vii)	भूपेन्द्र महतो, पिता-तुलसी महतो, ग्राम-दरदरी, थाना-वाल्मीकिनगर	-	30,000 /-
(viii)	मुकेश कुमार, पिता-रूप नारायण महतो, ग्राम-दरदरी, थाना-वाल्मीकिनगर	-	30,000 /-
(ix)	केशराज खतईत, पिता-जगदीश खतईत, ग्राम-देवताहा, थाना-वाल्मीकिनगर	-	30,000 /-
(x)	लीलावती देवी, जौजे-रामेश्वर ओजैया, ग्राम-देवताहा, थाना-वाल्मीकिनगर	-	30,000 /-
(xi)	दिनेश राय, पिता-बलिराम राय, ग्राम-अमवा, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(xii)	दुलार महतो, पिता-शंकर महतो, गांव-नौरंगिया, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(xiii)	जितेन्द्र कुमार, पिता-श्री प्रेम काजी, ग्राम-कटहरवाँ, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(xiv)	अविनाश कुमार, पिता-चुरामनी महतो, ग्राम-कटैया, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-
(xv)	सोनू कुमार, पिता-श्री प्रमोद महतो, ग्राम-कटैया, थाना-नौरंगिया	-	30,000 /-

5. श्री गणेश महतो, पिता-रामचन्द्र महतो, ग्राम-दरदरी, थाना-नौरंगिया जिनकी रीढ़ की हड्डी गोली चालन की घटना में टूट गई थी उनके संभावित स्थायी अपंगता को देखते हुए आयोग के अनुशंसा के आलोक में पूर्व में दी गई राहत राशि के अतिरिक्त और 4,50,000/- (चार लाख पचास हजार) रुपये अनुग्रह अनुदान के भुगतान की स्वीकृति दी जाती है।

6. उपर्युक्त राशि का व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 में मांग संख्या-22 के बजट मुख्य शीर्ष-2235 सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण, उप-मुख्य शीर्ष-60-अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम, लघु शीर्ष-200-अन्य कार्यक्रम, उप-शीर्ष-0011 मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपन्न कोड-N2235602000011 विपन्न शीर्ष 3102 के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगी।

7. यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561 दि०-17.04.1998 के आलोक में निहित आदेश के अधीन निर्गत किया जा रहा है, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण की होगी।

8. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होंगे।

9. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से की जाएगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/-  
(जितेन्द्र कुमार)  
सरकार के विशेष सचिव

*je*

क०प०ल०



फैक्स  
स्पीड पोस्ट

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-.....2016

प्रतिलिपि-प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया /वित्त विभाग, बजट शाखा, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-..... 2016

प्रतिलिपि-उप सचिव, प्रभारी, प्रशाखा-'ए0', गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक-...../

पटना, दिनांक-..... 2016

प्रतिलिपि-आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

*Intender*  
17.10.16  
सरकार के विशेष सचिव

*17/10*